मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2000 (अग्रहायण 16,1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) -

(क) मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 92 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18-1-99-म-इकतीस, दिनांक 9 अगस्त, 2000; तथा

(ख) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम्-इकतीस, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, मनोहर ऊंटवाल, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अनुविभाग में धान की फसल की क्षति का मुआवजा न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री ग्यारसी लाल रावत, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 35 सन् 2000) पर विचार किया जाय. — 1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2000 (क्रमांक 38 सन् 2000) पर विचार किया जाय. — 1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. प्रतिवेदन पर चर्चा.

3 घन्टे — मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को उच्च शिक्षा मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक-424) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 6 दिसम्बर, 2000